प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 24.02.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

सुरक्षा व सतर्कता के दृष्टिगत न्यायालय परिसर में संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों व वस्तुओं की गई सघन चेकिंग..।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल के निर्देशन पर आज दिनांक 24.02.2025 को परिक्षेत्रीय ए.एस.चेक टीम बांदा, डॉग स्क्वॉयड एवं एलआईयू महोबा व न्यायालय सुरक्षा की संयुक्त टीमों द्वारा सुरक्षा व सतर्कता के दृष्टिगत न्यायालय परिसर महोबा में सघन चेकिंग की गयी।

न्यायालय परिसर के सभी गेटों पर पुलिस बल तैनात कर हर आने-जाने वाले शख्स की जांच कराई गई। संदिग्धों की तलाशी लेते हुए उनसे आने का कारण पूछा गया। न्यायालय परिसर में लॉकअप, पार्किंग एवं मैन गेट पर आने जाने वाले लोगों से पूछताछ कर उनका वैरीफिकेशन कराया गया। वहीं आने जाने वाले वाहनों को वैरियर लगाकर चैक किया जा रहा था। इसके अलावा स्कैनर से बैग/वस्तुओं व अन्य सामान की चैकिंग करने के बाद ही व्यक्तियों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं न्यायालय के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी चेक किया गया, चेकिंग के दौरान किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक/संदिग्ध वस्तु बरामद नही हुई।

जनपद महोबा में बोर्ड परीक्षा को नकलविहीन, सकुशल, शातिपूर्ण एवं सुचितापूर्ण सम्पन्न कराये जाने हेतु व्यापक पुलिस प्रबंध किये गये है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 फरवरी 2025 से प्रारम्भ होकर 12 मार्च 2025 तक चलेंगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा को जनपद में नकलविहीन, सकुशल, शातिपूर्ण एवं सुचितापूर्ण सम्पन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा सभी को निर्देशित किया गया है कि बोर्ड परीक्षा से सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी परीक्षा केन्द्र पर समय से पहुंचे, ताकि परीक्षा को सही ढंग से संपादित कराया जा सके। परीक्षा केंद्रों पर तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए बोर्ड परीक्षा को सकुशल सम्पन्न करायें।

निर्देशित किया गया कि बोर्ड परीक्षा शातिपूर्ण एवं नकलविहीन सम्पन्न कराना सभी का दायित्व है। उन्होंने प्रश्नपत्रों, उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखने से लेकर परीक्षा केन्द्रों पर वितरण कराने, परीक्षा के दौरान सतत मॉनिटरिंग करने एवं अपनी ड्यूटी के अनुसार पूरी निष्ठा के साथ कार्य करने आदि के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश दिये गये है।

सम्पूर्ण परीक्षा प्रक्रिया के दौरान दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कहीं पर भी अनियमित्ता अथवा लापरवाही पाये जाने पर सम्बंधित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।

जनपदीय एसओजी एवं थाना अजनर की संयुक्त पुलिस टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 03 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 10.357 किलोग्राम अवैध गांजा (अनुमानित कीमत 04 लाख ₹) बरामद हुआ है।

उ0प्र0 पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, बरामदगी एवं ऐसे क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी एवं उनके कब्जे से बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में जनपद महोबा में आज दिनांक- 24.02.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय एसओजी एवं थाना अजनर की संयुक्त पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान तीन नफर अभियुक्तगण 1. पवन प्रजापति 2.अमित राजपूत 3. नरेन्द्र राजपूत के कब्जे से कुल 10.357 किलो अवैध सूखा गांजा नाजायज बरामद करते हुये गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध क्रमशः 1. मु.अ.स. 36/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 207 एम.वी. एक्ट 2. मु.अ.सं. 37/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 3. मु.अ.सं. 38/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगणों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी उपरान्त जेल भेजा गया है।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीमः-

एसओजी टीम-

1.उ0नि0 शिवप्रताप सिंह, प्रभारी स्वाट 2.उ0नि0 रवि कुमार सिंह, प्रभारी सर्विलांश
3.हे.कां. भूपेन्द्र सिंह 4.कां0 रंजीत सिंह 5.कां.निर्भय सिंह 6.कां. कुलदीप यादव
7.कां. सत्यम सिंह जादौन 8.कां. अभिषेक दुबे

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 हरि शंकर यादव 2.उ0नि0 राधामोहन त्रिवेदी
3.उ0नि0 ऋषी शुक्ला 4.का0 धीरज कन्नौजिया

गिरफ्तार अभियुक्त व बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद बैग में सूखा गांजा 03.076 कि0ग्रा0 व एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिब्बे में एक अदद मोबाइल पोको कम्पनी व 800 रुपये व् कब्जा अभियुक्त पवन प्रजापति पुत्र रम्मू प्रजापति उम्र करीब 19 वर्ष नि0 ग्राम सौरा थाना महोबकण्ठ जनपद महोबा हाल पता हल्लू कालोनी थाना नौगाँव जिला छतरपुर म0प्र0
2. एक अदद बैग में सूखा गांजा 02.139 कि0ग्रा0 व एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिब्बे में एक अदद मोबाइल ओप्पो व 1200 रुपये व् कब्जा अभियुक्त अमित राजपूत पुत्र महेन्द्र राजपूत उम्र करीब 19 वर्ष नि0 बजरंग कालोनी थाना नौगाँव जिला छतरपुर (म0प्र0)।
3. एक अदद बैग में 05.142 कि0ग्रा0 सूखा गांजा व एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिब्बे मे एक अदद मोबाइल रियलमी डीएल व निर्वाचन पहचान पत्र व 1800 रुपये व् कब्जा अभियुक्त नरेन्द्र राजपूत पुत्र दृगचन्द्र उम्र करीब 24 वर्ष नि0 ग्रा पचवारा थाना नौगाँव जिला छतरपुर (म0प्र0)।

थाना अजनर की पुलिस टीम ने चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की सम्पत्ति सहित अवैध तमंचा व कारतूस बरामद।

अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से कई अभियोग पंजीकृत है।

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले तथा लूट/चोरी जैसी घटनाओं के वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 24.02.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष थाना अजनर द्वारा गठित की गई पुलिस टीम द्वारा थाना अजनर में पंजीकृत मु0अ0सं0 34/2025 धारा 305(क)/331(4) बी0एन0एस0 से संबंधित 01 नफर वांछित अभियुक्त को मुखबिर खास की सूचना पर नौगांव रोड से नगाराडांग मोड पर बने यात्री प्रतीक्षालय के पास से एक नफर अभियुक्त 1.अभिषेक अहिरवार उर्फ अभी पुत्र छक्कीलाल अहिरवार उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम खमा थाना अजनर जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी हुए सफेद धातु के जेवरात मय एक अदद तमंचा 12 बोर मय एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद हुआ। माल मुकदमा व अवैध शस्त्र /कारतूस की बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 34/25 धारा 305(क)/331(4) बीएनएस में नियमानुसार धारा 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी कर अन्य विधिक कार्यवाही सम्पादित कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी उपरान्त जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिसटीम-

1. उ0नि0 शिवदान सिंह 2. उ0नि0 आकाश मौर्य 3. कां0 हवन कुमार थाना

गिरफ्तार अभियुक्त- अभिषेक अहिरवार उर्फ अभी पुत्र छक्कीलाल अहिरवार उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम खमा थाना अजनर जनपद महोबा

बरामदगी-

- सफेद धातु से निर्मित जेवरात
- एक अदद तमंचा 12 बोर
- एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर नाजायज

आपराधिक इतिहास-

- मु.अ.स. 199/2018 धारा 304/504 भादवि थाना अजनर महोबा
- मु.अ.स. 200/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अजनर महोबा
- मु.अ.स. 05/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अजनर महोबा
- मु.अ.स. 06/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना अजनर महोबा

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 24.02.2025

मीडिया सेल, महोबा

- **अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा आगामी त्यौहारों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत थाना श्रीनगर में पीस कमेटी गोष्ठी का किया गया आयोजन।**
- **सभी से आपसी सौहार्द बनाए रखने व अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई।**

आज दिनांक 24.02.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा अपर जिलाधिकारी श्री रामप्रकाश के साथ थाना श्रीनगर में आगामी त्यौहारों (महाशिवरात्रि, होलिका दहन व माह रमजान) को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत थाना क्षेत्र के धर्मगुरुओं/ गणमान्य/ सम्भ्रान्त व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी मीटिंग का आयोजन किया गया।

मीटिंग में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों, धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों व समाजसेवियों से अपील की गयी कि सभी लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, जनपद में शांति व्यवस्था बनाये रखें, साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों/असामाजिक तत्वों/किसी भी प्रकार की आपराधिक अवांछित गतिविधियों दिखाई देने पर इसकी सूचना तत्काल पुलिस प्रशासन को दे, किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें बल्कि अफवाह की पुष्टि उच्चाधिकारियों से करें तथा जिले में सौहार्दपूर्ण वातावरण का माहौल बनाये रखने में पुलिस व प्रशासन का सहयोग करें साथ ही सोशल मीडिया पर ऐसे कमेंट न करें जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों तथा किसी भी प्रकार की भड़काऊ/गलत/अशोभनीय पोस्ट शेयर न करें, जनपदीय पुलिस द्वारा कड़ी निगरानी की जा रही है।

इसी क्रम में थाना क्षेत्र में पैदल गश्त कर आयोजित होने वाले जुलूस/शिवबारात अदि कार्यक्रमों के मार्गों का निरीक्षण कर जुलूस/शिवबारात के रुट पर पर्याप्त पुलिस व प्रकाश का प्रबंध करते हुये महाशिवरात्रि पर्व को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।